न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 730 सन 2022
अनवान :–

1. छोटूराम पुत्र किशोरराम जाति जांगिड साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री रामकुमार बेनीवाल अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 04/10/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की वादी के नाम रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 151/35 की कुल 10.9900हैक भूमि में से 251/5495 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम छोटूराम पुत्र केसराराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम छोटुराम पुत्र किशोरराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम छोटुराम पुत्र किशोरराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम छोटुराम पुत्र किशोरराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम छोटुराम वल्द केसराराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर छोटुराम वल्द केसराराम के स्थान पर छोटुराम पुत्र किशोरराम संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के नाम रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 151/35 की कुल 10.9900हैक भूमि में से 251/5495 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम छोटूराम पुत्र केसराराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम छोटुराम पुत्र किशोरराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम छोटुराम पुत्र किशोरराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम छोटुराम पुत्र किशोरराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम छोटुराम वल्द केसराराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 151/35 की कुल 10.9900हैक्ट भूमि में से 251/5495 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी का नाम छोटूराम वल्द केसराराम दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय छोटुराम वल्द किशोरराम के स्थान पर छोटुराम वल्द केसराराम दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम महेन्द्रसिह पुत्र भारूराम दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम छोटुराम वल्द किशोरराम होना प्रतित होता है वादी ने अपने नाम के सम्बध/सर्मथन में सरंपच ग्राम पंचायत की तस्दीक भी पेश की गई है प्रस्तुत दस्तावेजात /शपथ पत्र/सरपंच ग्राम पंचायत सोनडी की तस्दीक के आधार पर वादी का नाम संशोधन किया जा सकता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र /पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /वादी के शपथ पत्र/ पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 151/35 की कुल 10.9900हैक्ट भूमि में से 251/5495 हिस्सा भूमि में वादी का नाम छोटुराम वल्द केसराराम अंकित है के स्थान पर छोटुराम वल्द किशोराराम उर्फ केसराराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. छोटुराम वल्द किशोरराम जाति जांगिड साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 730 सन 2022 निर्णय दिनांक– 04/10/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 151/35 की कुल 10.9900हैक्ट भूमि में से 251/5495 हिस्सा भूमि में वादी का नाम छोटुराम वल्द केसराराम अंकित है के स्थान पर छोटुराम वल्द किशोराराम उर्फ केसराराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/10/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner